

## निविदा आमंत्रण सूचना

~~P. D. Sabat~~  
३८१२३  
पाचार्य

नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना।

०५०९८

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नालन्दा मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाने एवं वापस कॉलेज लाने एवं अन्य कार्य हेतु किराये पर दो CNG/Electric/Diesel (60 सीटों वाली A.C.) बस की सेवा हेतु निविदा का नियम एवं शर्त :-

**(क) तकनिकी निविदा**

1. तकनिकी निविदा के साथ अग्रधन मो0-100,000.00 (एक लाख) रु0 मात्र का सरकारी बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो प्राचार्य के पदनाम से भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
2. तकनिकी निविदा के साथ बस मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, अध्यतन आयकर विलयरेंस पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. तकनिकी निविदा के साथ महाबिद्यालय सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों/मिशनरी बिद्यालय में कार्य करने का अनुभव तथा कार्य संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदादाता को तकनिकी निविदा में काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ प्रस्तुत करना होगा।

**(ख) वित्तीय निविदा**

1. वित्तीय निविदा में बस का भाड़ा (चालक+खलासी) का परिश्रमिक सहित मासिक/किलोमीटर स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। किसी भी परिस्थिति में भाड़ा का दर बिहार पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

**निविदा का नियम एवं शर्त :-**

1. बस यथासंभव नया देना होगा। बस 03 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के मापदण्ड के अनुसार चालक व खलासी को न्युनतम दैनिक मजदुरी का भुगतान करना होगा तथा ₹०पी०एफ०, ₹०एस०आई० आदि की कटौती नियमानुसार करना होगा।
3. सफलीभूत निविदादाता को कालेज को दी जाने वाली बस का व्यवसायिक पंजीकरण, फिटनेस, वीमा, रोड टैक्स अदायगी एवं प्रदूषण का अध्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. सफलीभूत निविदादाता को कार्यादेश निर्गत के 15 दिनों के अन्दर बस उपलब्ध कराना होगा तथा इस आशय का इकरारनामा 1000 रु0 के नन जुडिसियल स्टाम्प पर वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. सफलीभूत निविदादाता को बस चालक का व्यवसायिक ड्राईभिंग लाइसेंस तथा बस चालक एवं खलासी का वायोडाटा, आधार कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र (पूलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
6. बस का रख-रखाव, परिचालन, मरम्मति, डीजल, मोवील एवं अन्य सभी प्रकार का खर्च बस मालिक को स्वयं करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार का अलग से राशि देय नहीं होगा।

7. बस का परिचालन अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार प्रत्येक दिवस को सुबह-7.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक करना होगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार किसी भी समय बस की सेवा ली जा सकती है। किसी भी दिन बस का परिचालन बन्द करने पर निविदादाता को 5 (पाँच) हजार रु० प्रति दिन की दर पर आर्थिक दण्ड दिया जायगा एवं उस दिन का भाड़ा भुगतान नहीं किया जायगा।
8. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर, बस खराब हो जाने पर, वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत (अधिकतम आधा घंटा के अन्दर) दूसरी वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायगा।
9. सफलीभूत निविदादाता को अधोहस्ताक्षरी से ईकरारनामा करना होगा, ईकरारनामा के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जायगा।
10. परफारमेंस गारंटी के रूप में कुल एग्रिमेन्ट राशि के 5% राशि का बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा।
11. यह निविदा एक वर्ष की होगी। कालेज/क्य समिति के निर्णयानुसार अबधि विस्तार किया जा सकेगा।
12. नियमानुसार कर कटौती भुगतान विपत्र से की जायगी।
13. बिहार सरकार से प्राप्त आवंटन से विपत्र का भुगतान होगा। कतिपय कारणों से आवंटन नहीं रहने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में विपत्र भुगतान में विलम्ब हो सकता है। विलम्ब के लिये किसी प्रकार का सुद/ब्याज देय नहीं होगा।
14. जिस निविदादाता का तकनिकी निविदा विहित शर्तों के अधीन पाया जायगा, उन्हीं के वित्तीय निविदा को क्य समिति द्वारा खोली जायगी।
15. क्य समिति का निर्णय अंतिम होगा। अधोहस्ताक्षरी को विना कारण बताये किसी/सभी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. प्रतिदिन अलग-अलग बसों का परिचालन कुल कितने किलोमीटर हुआ तथा कहाँ से कहाँ तक के लिये हुआ, इसका पंजी में संधारण का प्रत्येक दिन महाबिद्यालय (संस्थान) प्रशासन द्वारा अधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा।
17. प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में, इस आश्य की स्वहस्ताक्षरित उदघोषणा, कॉलेज कार्यालय को देनी होगी कि बसें परिचालन के लिये तकनिकी रूप से (अर्थात् मेकैनिकली) बिल्कुल सही है।
18. चालकों व खलासियों (स्टाफ)द्वारा यह स्वहस्ताक्षरित उदघोषणा देनी होगी कि, वे टैफिक नियमों का सतप्रतिशत अनुपालन करेंगे।
19. अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायगा।
20. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना होगा।
21. निविदा के सभी पृष्ठों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।
22. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत नियमन/संकल्प/परिपत्र का अनुपालन करना होगा।

१५/८/२३  
प्राचार्य

नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना।

५०८५  
५०८५